न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 128/2025 निर्णय दिनांक 30.04.2026
ऑनलाईन नम्बर 2025/264

सरोज उम्र 54 वर्ष पत्नि मोहनलाल जाति नाई निवासी आडसर बास, श्रीडूंगरगढ बीकानेर।

—वादिनी—

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ।

—प्रतिवादी—

—उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी की ओर से दावा निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत है कि वादिनी अनपढ गृहणी है जो कि आडसर बास श्रीडूंगरगढ की स्थाई निवासीनी है। वादिनी के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 434 (पुराना) तादादी 13 बीघा 03 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 540 तादादी 3.3300 हैक्टेयर भूमि वाकेरोही जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है उक्त कृषि भूमि वादिनी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18.02.1992 को खरीद किया था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादिनी का नाम वादगत खेत के राजस्व रिकोर्ड में श्रीमति सायर देवी पत्नि मोहनलाल नाई श्रीडूंगरगढ अंकित हो गया जबकि वादिनी के सरकारी दस्तावेजो में वादिनी का नाम सरोज पत्नि मोहनलाल नाई निवासी श्रीडूंगरगढ है। वादिनी अनपढ पर्दाशिल महिला है। सन् 1992 में रजिस्ट्री करवाते वक्त खरीददार की उपस्थिति पंजीयक कार्यालय में आवश्यक नही होने के कारण विक्रयपत्र में वादिनी का नाम उसको घर परिवार में पुकारे जाने वाले नाम सायर देवी अंकित करवा दिया गया जबकि वादिनी के परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड व जन आधार कार्ड, वोटर कार्ड तमामा सरकारी दस्तावेजो में वादिनी का नाम सरोज चला आ रहा है। प्रार्थीनी/वादिनी ने दिनांक 08.06.2025 को कृषि ऋण के लिये बैंक में आवेदन करने के लिये राजस्व रिर्कोड की प्रतिया प्राप्त की तथा बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहा तो जानकारी हुई की प्रार्थीनी का रेवन्यु रिर्कोड में सायर देवी नाम अंकित है जो कि जन आधार कार्ड व आधार कार्ड मे वादिनी का नाम सरोज अंकित है। रेवन्यू रिकोर्ड व प्रार्थीनी के नाम से बने अन्य सरकारी दस्तावेजो में नाम की भिन्नता होने के कारण वादिनी अपनी कृषि भूमि पर सरकारी योजना व बैंक आदि से ऋण आदि लेने में परेशानी हो रही है इसलिये रेवन्यु रिर्कोड में वादिनी का नाम राजस्व रिर्कोड में संशोधित करवाया जाना आवश्यक हैं। वादिनी ने दिनांक 13.06.2025 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि उसके तमाम सरकारी दस्तावेजो में नाम सरोज अंकित है तथा राजस्व कृषि भूमि में वादिनी का नाम सायर देवी अंकित होने के कारण वादिनी अपनी कृषि भूमि के समुचित उपयोग उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है इसलिये वादगत खसरा भूमि में वादिनी का रिकॉर्ड अनुसार सही नाम सरोज पत्नि मोहनलाल नाई अंकित दुरूस्त कर दे तो प्रतिवादी ने कहा कि हम

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

ऐसा नही करेगे आप किसी सक्षम न्यायालय का आदेश ले आओ । वादिनी अपनी कृषि भूमि के राजस्व रिर्कोड में अपने सरकारी दस्तावेजो में दर्ज नाम सरोज के अनुसार घोषणा करवाने की अधिकारिणी है तथा तदनुसार राजस्व रिर्कोड में संशोधन, रिर्कोड दुरूस्त कराने का अधिकार भी रखती है यही वादिनी का वादाधार व वादकारण है जो प्रतिवादी के विरूद्ध बमुकाम श्रीडूंगरगढ में दिनांक 13.06.2025 को प्राप्त हुआ है। रेवन्यू रिर्कोड का संधारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (रेवन्यु) श्रीडूंगरगढ द्वारा किया जाता है स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी क नोटिस का प्रावधान है परन्तु काश्त का समय शुरू हो रहा है तथा वादिनी को अपनी कृषि भूमि पर सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही मिल रहा है इसलिये वादिनी का दावा आवश्यक प्रकृति का है इस आधार पर वादिनी द्वारा धारा 80 सीपीसी के नोटिस मियाद की छुट प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 80 (2) सीपीसी का प्रस्तुत की दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त कर ली है । उक्त खातेदारी भूमि रोही श्रीडूंगरगढ तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित होने के कारण यह दावा मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।दावा हर प्रकार से अन्दर मियांद व पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है के वादिनी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) कि खेत खसरा नम्बर 540 तादादी 3.3300 हैक्टेयर भूमि वाकेरोही जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी सरोज पत्नि मोहनलाल नाई निवासी श्रीडूंगरगढ के नाम घोषित कर तदनुसार राजस्व रिर्कोड में रिर्कोड दुरूस्त करने का आदेश प्रतिवादी को जारी किया जावे।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो अथवा दोराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें । श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादिनी की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में स्वयं का शपथ पत्र किया गया। वादिनी के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह पैरोकारराज शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादिनी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादिनी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 540 तादादी 3.3300 हैक्टेयर वाकेरोही जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम ''सायरदेवी'' के स्थान पर ''सरोज'' घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

सरोज उम्र 54 वर्ष पत्नि मोहनलाल जाति नाई निवासी आडसर बास, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़।

मुकदमा नम्बर 128/2025
दावा बाबत खाताः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांक 30.04.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री ललित कुमार मारू अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व स्टेट की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 540 तादादी 3.3300 हैक्टेयर वाकेरोही जेतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के राजस्व रिकार्ड में वादिनी का नाम ''सायरदेवी'' के स्थान पर ''सरोज'' घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 30 माह 04 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूंगरगढ
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)